राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी (इ) का उद्घाटन माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा हैदराबाद में दिनांक १४ मई २०२२ को माननीय श्री किशन रेड्डी' टूरिज्म मिनिस्टर, हैदराबाद की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर श्री आशुतोष अग्निहोत्री, सयुंक्त सचिव, CIS डिवीज़न, गृह मंत्रालय ; डॉ संजय कुमार जैन, निदेशक सह मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय एवं केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला: असम, पुणे, भोपाल, हैदराबाद एवं चंडीगढ़ के सभी निर्देशक एवं वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

Memento presented to Sh. Amit Shah Hon'ble Union and Cooperation Minister by Dr S K Jain, CFS, DFSS

Memento presented to Hon'ble Tourisam Minister Sh. Kishan Reddy, Hyderabad by Dr S K Jain, CFS, DFSS

Group Photograph

ABOUT CFSL/NCFL (E) HYDERABAD :सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, हैदराबाद की स्थापना वर्ष 1967 मेंहुईथी। CFSL, हैदराबाद का अधिदेश विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों की फॉरेंसिक जरूरतों को पूरा करना है। सीबीआई, एनआईए, आईटी, डीआरआई, केंद्रीयउत्पादशुल्क और सीमाशुल्क, जीएसटी, भारतीयरेलवे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, विस्फोटक नियंत्रक, रक्षा और अर्ध-सैन्यसंगठन, डाक, बैंकिंग, पीएसयू, न्यायपालिका और सतर्कता विभाग राज्य और केंद्र दोनों के अलावा फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यकरना।आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगानाऔरकेंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुडुचेरी सीएफएसएल, हैदराबाद के अधिकार क्षेत्र में आतेहैं।

CFSL, हैदराबाद का डिजिटल फोरेंसिक डिवीजन (DFD) एकमात्र केंद्रीय प्रयोगशाला है जिसे आईटीअधिनियम 2000 की धारा -79 ए के तहत "इलेक्ट्रॉनिकसाक्ष्यकेपरीक्षक" केरूप में अधिसूचित किया गया है और "साइबर फोरेंसिक में उत्कृष्टताकेंद्र" के रूप में घोषित किया गया है।

वर्तमान में CFSL हैदराबाद में जो फॉरेंसिक साइंस जाँच की सुविधाएँ उपलब्ध हैं : बायोलॉजी, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, डॉक्यूमेंट, साइबर, विस्फोटक पदार्थों का परिक्षण, विष समबंधित मामले, डीएनए, मादक पदार्थों के मामले इत्यादि।

2. एनसीएफएल (ई) कीस्थापना (Establishment of NCFL (E):-

साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों का संज्ञान लेते हुए, गृह मंत्रालय द्वारा एक 2018 में विशेषज्ञ समूह का गठन किया था जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस), गृहमंत्रालय, C-DAC, सर्ट -इन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs) भारतीय विज्ञान संस्थान और आई टी विशेषज्ञों के अधिकारी/शिक्षाविद शामिल थे।इससमूह का कार्य देश में साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक रोड मैप तैयार करना और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबरअपराध को रोकने केलिए प्रभावी उपाय करने के लिए उपयुक्त सिफारिशें करना था।

तदनुसार, गृहमंत्रालय द्वारा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) के लिए एक योजना तैयार की गई।सी सी पी डब्ल्यू सी योजना के तहत घटकों में से एक "राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला" की स्थापना रहा है जिसमें फोरेंसिक विश्लेषण के गहनऔरउन्नतस्तरकोपूराकरनेकेलिएअत्याधुनिकसुविधाएंहैं, जो साइबर फोरेंसिक में विशेषज्ञ राय प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

सीएफएसएल हैदराबाद के डिजिटल फोरेंसिक डिवीजन की विशेषज्ञता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए, गृहमंत्रालय के सी आई एस डिवीजन ने दिनांक 20/04/2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22006/4/2017-सीआईएस-द्वितीय के माध्यम से NCFL की स्थापना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचान की।निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों के साथ सीसीपीडब्ल्यूसी योजना के तहत निर्भया फंड से ₹37.34 करोड़ (संशोधित ₹35.56 करोड़) के वित्तीय परिव्यय के साथ सीएफएसएल, हैदराबाद में एनसीएफएल (ई) की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की।

2.1 लक्ष्य और उद्देश्य

•स्केलेबिलिटी के प्रावधान के साथ एक उच्च फोरेंसिक सर्वर का निर्माण करना जो साइबर फोरेंसिक केस डेटा के केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करेगा।

•डिजिटल सबूत के विश्लेषण के लिए स्थानीय और साथ ही दूरस्थ हितधारकों के लिए एक डिजिटल फोरेंसिक प्लेटफॉर्म बनाना।

•बेहतरडेटाभंडारण,अभिलेखीयऔर प्रसंस्करण क्षमताओं के लिए सुविधाओं के उन्नयन मेंअन्य CFSLs मेंसर्वर स्थापित करना।

•आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन की सहायता के लिए साइबर फोरेंसिक के क्षेत्र में गुणवत्ता रिपोर्ट/राय प्रदान करनेकेलिए।

•महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यानदेने के साथ साइबरअपराध की घटनाओं की जांच, विश्लेषणऔररिपोर्टिंगकीसुविधाप्रदानकरना।

• हाई-प्रोसेसिंग एम्बेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से डिजिटल साक्ष्य की जाँच कम से कम समयावधि में पूरी करना।

अन्य सीएफएसएल और राज्य प्रयोगशालाओं को शामिल कर के "एनसीएफएल इकोसिस्टम"विकसितकरनेकेलिएक्षमताओंऔरबुनियादीढांचेकोसुव्यवस्थितऔरसुधारना

•एनसीएफएल (ई) प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्ति कर केअपनेकर्मियोंकेकौशल-समूहकोबढ़ानेपरकार्यकरना।

•निरंतरकौशलविकास, डिजिटल अपराध जांच और फोरेंसिक के क्षेत्र में सभी हितधारकों के बीच पारस्परिक रूप से ज्ञानहस्तांतरण के उद्देश्य से राष्ट्रीयऔरअंतरराष्ट्रीय ख्याति के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास इकाइयों के साथ समझौताज्ञापन (MoU)करना।

2.2. . **एनसीएफएल (ई) में निम्नलिखित 4 विशिष्ट उप इकाइयां स्थापित की गयी हैं :-**

- ✓ **डिजिटल स्टोरेज मीडिया परीक्षा इकाई**: इस इकाई का कार्य मुख्यतः हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, कंप्यूटर/लैपटॉप: हटाए गए डेटा का विश्लेषण, पासवर्ड एन्क्रिप्शन;स्टोरेज मीडिया आदि का फोरेंसिक विश्लेषण रहेगा।
- ✓ **मोबाइल फोन और एंबेडेड सिस्टम परीक्षा इकाई**: इस इकाई का कार्य विभिन्न मेक और मॉडल के मोबाइल फोन का विश्लेषण, पैटर्न लॉक खोलना, चिप स्तर पर फोरेंसिक विश्लेषण तथा डाटा निकलना रहेगा।
- ✓ **उन्नत डिजिटल फोरेंसिक यूनि**ट (क्षतिग्रस्त मीडिया विश्लेषण) इकाई :इस इकाई का कार्य क्षतिग्रस्त मीडिया से डेटा की मरम्मत और पुनर्प्राप्ति; मेमोरी और मैलवेयर, स्रोत कोड, क्लाउड डेटा संसाधन, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स का विश्लेषण; उन्नत स्तर के परीक्षण के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स रहेगा।
- ✓ **सीन ऑफ़ क्राइम इकाई** :इस इकाई का कार्य डिजिटल फोरेंसिक ट्राइएज : (वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी अपराध स्थल से डिजिटल साक्ष्य एकत्र करना, वहीं प्राथमिकता पर विश्लेषण करना और रिपोर्ट देना है), प्रमाणीकरण के लिए डेटा और हैशिंग की प्रतिलिपि बनाना और लाइव सर्वर से डेटा का अधिग्रहण रहेगा।

2.3 NCFL **(इ) की विशिष्टताएं**

इलेक्ट्रो मैग्नेटिक और रेडियो फ्रीक्वेंसी शील्ड स्ट्रांग रूम, देश के किसी भी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में अपनी तरह का पहला डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिकप्रदर्शों केभंडारणकेलिएबनायागयाहै।

परियोजना की सभी चार इकाइयों में एर्गोनोमिक और पर्यावरण के अनुकूल फर्नीचर के साथ क्यूबिकल लगाए गएहैं।

3. **साइबर अपराध के मामले की जाँच :-** इस लैब के पूरा हो जाने पर NCFL की केस जांचने की क्षमता लगभग २००० केस प्रति वर्ष हो जाएगी जिसका सीधा लाभ विभिन कानून प्रवर्तन एजेंसिओं को मिलेगा।

4. Expected Outcome (**आने वाले वर्षों में** NCFL **(इ) से प्राप्त होने वाले लाभ)** :-

एनसीएफएल(ई) परियोजना एक कुशल और मूल्यवर्धित डिलिवरेबल्स के लिए डिज़ाइन की गई है, आने वाले वर्षों में NCFL (इ) से प्राप्त होने वाले लाभ:-

•डिजिटल फोरेंसिक में औरक्षमता निर्माण

•डिजिटल फोरेंसिक में समकालीन तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए भौतिक आधारभूत संरचना

• अप-टू-डेट सॉफ़्टवेयर संसाधन एवं हार्डवेयरसंसाधन

•बढ़ी हुई कंप्यूटिंग शक्ति और भंडारण की सुविधा के लिए foolproof स्थान

•न्यूनतम टर्न अराउंड समय

•उच्च प्रसंस्करण क्षमता

•कुशल मानवसंसाधन का विकास

•गुणवत्ता आउटपुट

•डेटा संग्रह

•संवर्धित दिशानिर्देश(Standard Operating Procedures)

•फोरेंसिक डेटा एनालिटिक्स

•डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के लिए विशिष्ट संगठनात्मक सूचना सुरक्षा नीति।

•विश्वस्तरपरस्वीकार्यप्रक्रियाएं/प्रोटोकॉल

•अंतरराष्ट्रीयप्रत्यायनकार्यक्रमआदि।

5. प्रयोगशाला (NCFL (E)में उपलब्ध उपकरणोंकाब्यौरा :-

Think client, Crime Scene Vehicle, Forensic Workstations, UFED Touch, FTK, Hardware Writer Blocker Kit, High End Workstation, MAC Forensic Tool solution for conducting chip level analysis of mobile phones, Forensic Imaging Device, Encase, Specktor, Forensic Smart Server (also installed in four CFSLs for networking), Oxygen phone detective Kit, etc.

****